

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एएआई – कालीकट/सीपी-III/ 2021-26
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

दिनांक : 12 अक्टूबर, 2021

सार्वजनिक सूचना संख्या 31/2021-22

सेवामें,

राज्य सरकार/सभी हवाईअड्डा प्रचालक/ सभी स्वतंत्र सेवा प्रदाता/ पंजीकृत कार्गो ट्रेड निकाय/
एयरलाइनें/ तेल कंपनियां एवं अन्य हितधारक

विषय: हितधारक परामर्श बैठक (वर्चुअल बैठक)

1. ऐरा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए निम्नलिखित परामर्श पत्र की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

परामर्श पत्र संख्या और दिनांक	विषय	लिखित टिप्पणियों की अंतिम तारीख	हितधारकों की परामर्श बैठक की तारीख एवं समय
दिनांक 07.10.2021 का परामर्श पत्र संख्या 17/2021-22	कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा (सीसीजे), के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में	08.11.2021	सोमवार, दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 पूर्वाह्न 11.00 बजे वर्चुअल माध्यम से

2. सभी हितधारक वर्चुअल माध्यम से ऊपर उल्लिखित समय सोमवार, 25 अक्टूबर, 2021 को निर्धारित हितधारक परामर्श बैठक में प्रस्तावित परामर्श पत्र पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित हैं।
3. हितधारक प्रस्तावित वर्चुअल बैठक के लिए अपने प्रतिनिधि (अधिकतम दो प्रतिभागी) नामित कर सकते हैं।
4. इस संबंध में प्रतिभागी के नाम, मोबाइल नम्बर और ई-मेल पते के साथ पुष्टि कृपया 21.10.2021 को अपराह्न 3:00 बजे तक भेज दें। बैठक का लिंक 22.09.2021 को सभी पुष्टिकृत प्रतिभागियों के साथ शेयर किया जाएगा।

(राम कृष्ण)
निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी)

